भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़160030
दिनांक 03.06.2011

फाईल नम्बर:-9-HPB513/2010-CHA | 5088

सेवा मे,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला ।

विषयः- Diversion of **3.8436** hectare of forest land in favour of M/s Kangra Hydro Power Ventures Pvt. Ltd, Ranital for construction of 3.6 MW Gaj-III small HEP Village Rawa within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division and Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित नोडल आफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक, शिमला के पत्र संख्या Ft. 48-2106/2010 (FCA) दिनांक 05.08.2010 & 19.05.2011 का अवलोकन करें , जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- **2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **3.8436** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी ।
2. कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **दो सौ चौदह** वृक्षों से अधिक नही होगी ।
3. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **C.No. -49 K CB Dharamshala C-4** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये 6,52,800/- (छ: लाख बावन हजार आठ सौ मात्र) की राशि से कुल **8.00** हैक्टेयर भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा । **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**
4. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय/पूर्वऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे ।
5. सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे क्रम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये ।
6. प्रयोक्ता एजैंसी तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी । वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है ।
7 मलबे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुश्ता-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा । इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा ।

Contd..2/

8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
9. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(श्रीकृष्ण सहरावत)
I/C अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-

1 अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार , वन विभाग, टालैंड, शिमला ।
3. Divisional Forest Officer, Dharamshala Forest Division and Distt. Kangra, Himachal Pradesh.
4. M/s Kangra Hydro Electric Power Ventures Pvt. Ltd, Ranital, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.
5. गार्ड फाईल ।